चैनल डिस्ट्रीब्यूशन पर ट्राई के प्रस्ताव पर परामर्श

मान्यवर,

'देर आए दुरूस्त आए' से अपनी बात इसलिए शुरू कर रहा हूं कि यह मामला 1993-94 में ही तय किया जाना चाहिए था, लेकिन तब इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया, और ब्रॉडकास्टर अपनी मनमानी करते रहे। उन्होंने केबल टीवी ऑपरेटरों का शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जबकि सरकार हाथ पर हाथ धरे मूक दर्शक बनी देखती ही रही। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की शुरूआत 19 सितम्बर, 1994 को स्टार टीवी द्वारा लाए गए अंग्रेजी फिल्मों के पे चैनल 'स्टार मूवी' से की गई। उससे पहले फ्री टु एयर चैनल ही वायुमण्डल में उपलब्ध थे, जिन्हें रिसीव कर केबल टीवी के माध्यम से लोगों के टेलीविज़न तक पहुंचाने के लिए ऑपरेटर स्वतंत्र थे। सरकारी आर्डिनेंस भी तभी 28 सितम्बर, 1994 को आया था, जो कि बाद में 'केबल टीवी एक्ट- 1995' के रूप में जाना गया। देश के प्रथम पे चैनल 'स्टार मूवी' के तुरन्त बाद ही आए आर्डिनेंस से यह संदेश मिला कि सरकार इन चैनलों के प्रति सजग है एवं शीघ्र ही इनके लिए कोई दिशा-निर्देश जारी कर सकती है। परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यह केवल भ्रम साबित हुआ। सरकार द्वारा लाए गए आर्डिनेंस के अनुसार भारत के केबल टीवी व्यवसायियों को बस एक परिचय दे दिया सरकार ने। उन्हें कहा गया कि केबल टीवी व्यवसाय में संलग्न प्रत्येक केबल टीवी ऑपरेटर को पोस्ट ऑफिस में अपना पञ्जीकरण करवाना अनिवार्य होगा, इसके लिए 90 दिनों का समय दिया गया और 50/- रूपया फीस तय की गई बस। बिना पञ्जीकरण के केबल टीवी व्यवसाय करना गैरकानूनी हो गया, अत: केबल टीवी ऑपरेटरों ने पोस्ट ऑफिस में पञ्जीकरण करवाकर केन्द्रीय सरकार द्वारा लाए गए आर्डिनेंस का पालन किया।

आर्डिनेंस में यह भी निर्देश दिया गया था कि किसी भी चैनल को प्रसारित करने के लिए लगाए विशेष प्रकार के रिसीवर के प्रति ऑपरेटर स्वंय ज़िम्मेदार होंगे, अर्थात उसके माध्यम से प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स अथवा विज्ञापनों के प्रति भी ज़िम्मेदारी केबल टीवी ऑपरेटरों की होगी, अगर कोई प्रोग्राम या विज्ञापन कोड का उल्लंघन होता है तो। जबकि केबल टीवी ऑपरेटर के नियंत्रण में ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो चैनल पर प्रसारण हो रहा है उसे प्रसारण से पूर्व वह जांच ले कि वह कानून के अनुसार है या नहीं। केबल टीवी पर आर्डिनेंस जारी कर सरकार ने ब्रॉडकास्टर की गल्तियों की भी ज़िम्मेदारी केबल टीवी ऑपरेटरों के गले में डाल दी। 'केबल टीवी एक्ट- 1995' केबल टीवी ऑपरेटरों पर नियंत्रण बनाए रखने में काफी था, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को भारतीय कानूनों के अंतर्गत नियंत्रित करने के लिए पूर्ण नहीं था। इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग बिल (प्रसारण विधेयक) पर भी सरकार की तैयारियां ज़ोर-शोर से चली थीं, जो हमेशा के लिए ठण्डे बस्ते में चली गई।

'स्टार मूवी' चैनल के बाद 9 अप्रैल, 1995 को हिन्दी फिल्मों वाला पे चैनल 'ज़ी सिनेमा' के नाम से लांच किया गया। यह भारत का दूसरा पे चैनल था, जो कि स्टार टीवी व ज़ी ग्रुप की सहभागिता में लांच किया गया था। इसके बाद खेल चैनल 'ईएसपीएन' भी पे चैनल बन गया, फिर एक और खेल चैनल 'स्टार स्पोर्ट्स' भी पे हो गया। इस तरह से एक-एक कर 200 से भी अधिक पे चैनल प्रचलन में आ गए। सरकार ने कभी भी ब्रॉडकास्टर्स से यह पूछने की ज़रूरत नहीं समझी कि किसी भी चैनल को पे चैनल बनाने के लिए मापदण्ड क्या हैं? पे चैनल की दरें निर्धारण का फार्मूला क्या है? चैनल की लोकप्रियता के आधार पर ही ब्रॉडकास्टर ऑपरेटरों पर उसकी वसूली के लिए दबाब बनाते रहे हैं। पे चैनल की शुरूआत के साथ ही ब्रॉडकास्टर ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन टीम का भी गठन किया, जिसकी शुरूआत देश के प्रथम पे चैनल 'स्टार मूवी' से हुई। स्टार टीवी के द्वारा लाए गए स्टार मूवी चैनल के लिए गठित की गई स्टार की डिस्ट्रीब्यूशन टीम का काम देशभर में स्टार मूवी चैनल का प्रसारण करवाना एवं प्रसारण के एवज में ऑपरेटरों से भारी राशि वसूलना रहा है।

चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रत्येक ब्रॉडकास्टर ने अपनी अपनी अलग टीम बनाई थी, लेकिन ग्राउण्ड में एक ही व्यक्ति भिन्न ब्रॉडकास्टर की डिस्ट्रीब्यूशन टीम का हिस्सा भी बन गया। अधिकांश क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक ब्रॉडकास्टर की डिस्ट्रीब्यूशन ले ली गई। इसका परिणाम भी वही हुआ कि चैनल डिस्ट्रीब्यूटर एक अति लोकप्रिय चैनल के साथ दूसरे ब्रॉडकास्टर के चैनल के लिए भी ऑपरेटरों व एमएसओ पर दबाब बनाने से नहीं चूकते थे। पूर्व में चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जो फार्मूला अपना रहे थे उसी फार्मूले को अपनाते हुए भिन्न ब्रॉडकास्टर ने आपस में मर्जिंग करना शुरू किया। मर्जिंग के कारण ही मोदी एण्टरटेनमेंट नेटवर्क (MEN) चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बंद हो गया। स्टार टीवी एवं ज़ी टीवी का गठबंधन टूट जाने के बाद दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन टीम भी अलग-अलग थीं। खेल चैनलों के लिए बनाई गई MEN की डिस्ट्रीब्यूशन टीम बड़ी मज़बूती के साथ मनचाही वसूली एमएसओ या ऑपरेटरों से किया करती थी। सोनी की डिस्ट्रीब्यूशन टीम का भी देशभर में बड़ा मज़बूत व प्रभावशाली नेटवर्क था, इसी तरह से डिस्कवरी की डिस्ट्रीब्यूशन टीम एवं खेल चैनल ईएसपीएन व स्टार स्पोर्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन टीम का भी देश के कोने-कोने तक नेटवर्क फैला हुआ था।

चैनलों की लगातार बढ़ती जा रही संख्या और पे चैनल ब्रॉडकास्टर्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा ऑपरेटरों पर बढ़ाए जा रहे बेहिसाब आर्थिक दबाब के कारण उन्हें कन्ट्रोल रूम बंद किए जाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि किसी ना किसी तरह से इण्डिपैण्डेंट ऑपरेटरों के हैडेण्ड को बंद करवा कर उन्हें एमएसओ का हिस्सा बन जाने के लिए बाध्य करना भी ब्रॉडकास्टर्स की छद्म नीति रही है। यही कारण है कि देश के तमाम प्रमुख शहरों में एमएसओ के ही कब्जे हो गए हैं, जबकि वहां पूर्व में इण्डिपैंडेन्ट हैडेण्ड हुआ करते थे। शुरूआत में भिन्न ब्रॉडकास्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन लेने वाला उस क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति एक ही हुआ करता था, जो ऑपरेटरों पर जबरन अपनी मर्ज़ी थोप देता था, क्योंकि ब्रॉडकास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को हर बार वसूली

All India Aavishkar Dish Antenna Sangh (Regd.)
B-262, Indra Nagar, Delhi-110 033
Telefax : +91-11-27672736 Mobile : +91-9811110410, 9311110410

का नया टार्गेट थमा देता और साथ में प्रोत्साहित करने के लिए आर्कषक प्रलोभन भी दिए जाते थे। अत: चैनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटरों पर और अधिक वसूली के लिए हर बार नया दबाब बनाते थे। इसी कारण कई बार चैनलों का प्रसारण बंद करने पर भी ऑपरेटर मजबूर हुए, लेकिन उनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं था, अत: या तो वह केवल फ्री टु एयर चैनलों का प्रसारण करता रहे या फिर एमएसओ को समर्पण कर दे, अन्य कोई भी विकल्प ऑपरेटरों के लिए होते ही नहीं थे।

चैनल डिस्ट्रीब्यूटर ही कहीं-कहीं एमएसओ के जे.वी. पार्टनर भी हैं, लेकिन इण्डिपैंडेंट ऑपरेटरों को निबटाने में चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बड़ी ज़िम्मेदारी निभाई है। इसके लिए ब्रॉडकास्टर्स ने भी उन्हें पूरा सहयोग दिया है। चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स की कार्य प्रणाली को ही बाद में ब्रॉडकास्टर्स ने भी अपनाना शुरू किया। शुरूआत सोनी, डिस्कवरी से हुई, जब दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन टीम 'सेट-डिस्कवरी' के रूप में एक हो गई। इसी तरह से ज़ी ग्रुप के साथ टर्नर मर्ज हो जाने से ज़ी टर्नर बन गई। हालांकि आपसी मर्जिंग से ब्रॉडकास्टर्स को वसूली में मजबूती तो मिली, लेकिन पूर्व में जो घींगामस्ती चैनल डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा होती थी, वह अब सीधे-सीधे ब्रॉडकास्टिंग स्तर से ही शुरू होने लगी। केबल टीवी ऑपरेटरों के हैडेण्ड तो अब गिनती के ही रह गए थे, जबकि एमएसओ देश के अधिकांश शहरों तक पहुंच ही गए थे, अत: अलग-अलग मोर्चा सम्भालने के मुकाबले में ब्रॉडकास्टर्स ने भी आपस में जुड़कर अपनी ताकत को बढ़ाया। मर्जिंग से काफी लोगों को बाहर भी निकल जाना पड़ा, लेकिन एक बार शुरू हुआ यह सिलसिला आज बहुत बड़े स्तर पर फोकस हो गया है।

दो सौ से भी अधिक चैनलों को कुल चार डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियां सम्भाल रही हैं, जबकि कई अलग-अलग ब्रॉडकास्टर्स के चैनलों की डिस्ट्रीब्यूशन यह चार कम्पनियां ही देख रही हैं। यही कम्पनियां अपने हिसाब से भिन्न चैनलों का बुके तैयार करती हैं। किसे चैनल देने हैं या किसे नहीं देने का निर्णय भी यही करती हैं। इनकी झोली चैनलों की अलग-अलग संख्या से भरी हुई है, यदि इनके अनुसार कोई ऑपरेटर या एमएसओ नहीं चल रहा है तब यह अपने सभी चैनलों का प्रसारण बंद कर देने का ब्राहमास्त्र भी चलाने से नहीं चूकती हैं। पिछले दिनों अखबारों में छपे बड़े-बड़े विज्ञापनों से यही प्रमाणित हुआ। जबकि 'केबल टीवी संशोधित एक्ट- 2012' के अंतर्गत इस इण्डस्ट्री के चार स्टेकहोल्डर्स ही तय किए गए हैं, जिनमें (1) कण्टेंट प्रोवाइडर (ब्रॉडकास्टर), (2) हैडेण्ड सर्विस प्रोवाइडर्स (एमएसओ), (3) केबल सर्विस प्रोवाइडर (केबल ऑपरेटर), (4) सब्सक्राइबर (दर्शक)। तब चैनल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में पांचवा भाग यह कम्पनियां कानून में क्या स्थान रखती हैं? सवाल यह भी है कि कोई भी ऑपरेटर क्या स्वंय इण्डिपैंडेंट हैडेण्ड नहीं लगा सकता है? डैस क्षेत्र के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से लायसेंस लेने के बावजूद भी चैनल ना दिए जाने के कई रास्ते अपनाती हैं यह कम्पनियां, क्योंकि उनका एमएसओ के साथ जो सैटल है वहां किसी दूसरे को ऑपरेट ही नहीं करने देना चाहती हैं यह कम्पनियां अथवा इनमें से कोई एक कम्पनी।

इन कम्पनियों के विरूद्ध अदालत में जाने का मतलब है कि समय की बर्बादी, अर्थात् ज़रूरत आज है, लेकिन अदालती कार्यवाही के बाद गर इन्हें चैनल देने के लिए बाध्य भी होना पड़ा, जब तक समय बहुत ज़्यादा निकल जाता है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। ब्रॉडकास्टिंग एण्ड केबल टीवी क्षेत्र अब पूर्णतया पारदर्शिता की ओर अग्रसर है। डैस के द्वितीय चरण में चल रही है इण्डस्ट्री, ऐसे में चैनलों की मोनोपोली पूर्णतया खत्म की जानी चाहिए।

सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात तो यह है कि सरकार अभी तक पे चैनलों की दरें ही तय नहीं कर पाई है। कन्ज़्यूमर इन्ट्रेस्ट में लाए गए नए कानून का आखिर महत्त्व ही क्या है, अगर चैनलों की दरें ही तय नहीं की गई? ट्राई और एम.आई.बी. की ज़िम्मेदारी है कि डैस के लिए लाए गए कानून से उपभोक्ता लाभान्वित हों, लेकिन उपभोक्ता पूरी तरह से डैस के जंजाल में फंसकर रह गए हैं, क्योंकि डैस लागू किए जाने से पूर्व 150-200 रूपये में घर के 3-5 टीवी में केबल टीवी सुविधा की जगह अब 1200-1500 रूपय तक भुगताने के लिए मजबूर हो गया है उपभोक्ता। सैट्टॉप बॉक्स अलग से उसे हरेक टीवी के लिए लेना पड़ा है। उपभोक्ता पूछ रहे हैं कि कन्ज़्यूमर इन्ट्रेस्ट में कैसे है यह कानून?

इसी तरह से उपभोक्ताओं को बहलाया गया कि डैस के अंतर्गत अपनी पसंद के अनुसार एक सौ फ्री टु एयर चैनल चुनने का अधिकार होगा, पूरी तरह से झूठ साबित हुआ। जबकि पे चैनलों में च्वाईस का भी खूब शोर मचाया गया, लेकिन एमएसओ द्वारा परोसे गए पैकेजों के सम्मुख कानून एक छलावा ही साबित हुआ उपभोक्ताओं के लिए। सरकार बड़ी तेजी के साथ डैस को सम्पूर्ण भारत में लागू करने पर आमदा है, लेकिन रूपये की कीमत डॉलर के सामने जितनी तेजी से गिरती जा रही है उसके लिए यह कानून भी ज़िम्मेदार है। ऐसे परिणामों के प्रति ट्राई को समय रहते सचेत किया गया था। एम.आई.बी. को भी इसके प्रति आशंकाएं जताई गई थीं, लेकिन तय समय सीमाओं में भारी संख्या में सैट्टॉप बॉक्स का आयात किया जाना निश्चित तौर पर बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा का देश से बाहर जाना हो रहा है, जिसका प्रभाव रूपये पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसी तरह से पे चैनलों के द्वारा जमा की जा रही रकम भी विदेशी मुद्रा में देश से बाहर चली जाती है, उसका भी हिसाब-किताब सरकार को देखना होगा।

सबसे पहले आवश्यक है कि चैनलों की दरें तय की जाएं, ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया जाए एवं अविलम्ब तत्पश्चात् इनकी मोनोपोली को खत्म किया जाना चाहिए।

धन्यवाद!

दिनांक: 25-08-2013

शुभेच्छु

डॉ.ए.के.रस्तोगी

अध्यक्ष

ऑल इण्डिया आविष्कार डिश एण्टिना संघ

All India Aavishkar Dish Antenna Sangh (Regd.)
B-262, Indra Nagar, Delhi-110 033
Telefax : +91-11-27672736 Mobile : +91-9811110410, 9311110410